न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई (राज0)

रामकरण सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0–02/2023

प्रविष्टि दिनांक 10.01.2023

1–रामबाबू पुत्र श्योलाल
2–रिंकु पुत्री श्योलाल
3–सोनु पुत्री श्योलाल
4–कानी बेवा श्योलाल
। सभी जाति मीणा निवासी ढाणी जुगलपुरा
। तहसील निवाई जिला टोक (राज०,

–वादीगण–

बनाम

1–रेणू पत्नी घनश्याम हाल पत्नी राजेश मीणा जाति मीणा निवासी जुगलपुरा तहसील निवाई हाल निवासी हमजापुरा तहसील पीपलू जिला टोक (राज०)
2–लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण
3–हेमराज पुत्र कल्याण
। कौम मीणा साकिन ढाणी जुगलपुरा
। तहसील निवाई जिला टोक (राज०,
4–रामजीलाल पुत्र श्रीनारायण
5–सरवणी पत्नी प्रहलाद
6–नाहरा पुत्र बजरंगा
7–शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक शाखा निवाई जिला टोक (राज०)
8–श्रीमान तहसीलदार साहब/लेण्ड होल्डर तहसील निवाई जिला टोक, राज०,

प्रतिवादीगण–

दावा इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि साबिक आराजीयात से बने हाल आराजीयात परिशिष्ट (अ) खाता संख्या 1487 जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में दर्ज कुल किता 8 कुल रकबा 7.17 है० व परिशिष्ट (ब) खाता संख्या 1402 में दर्ज कुल किता 1 कुल रकबा 16.03 वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोक में स्थित है जो वादीगगण के दादा कल्याण के समय की बनाई बसाई आराजी है। जो वादीगण एवं प्रतिवादी 2 लगायत 6 की पैतृक व मौरूसी आराजी है। जिसमे वादीगण का परिशिष्ट (अ) में 4/15 हिस्सा व परिशिष्ट (ब) में 316/4845 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। यह कि आराजी परिशिष्ट (अ) व (ब) वादीगण एवं प्रतिवादी नं02 लगायत 6 की पैतृक व मौरूसी सम्पति है जो पूर्वज वादीगण के दादा कल्याण के द्वारा बनाई बसायी गयी है वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:–

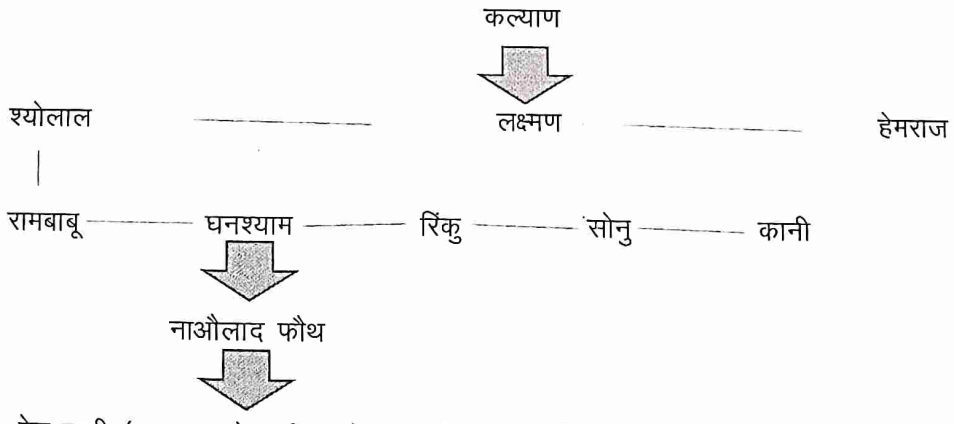

यह कि आराजी मुतनाजा पैतृक व मौरूसी है कल्याण के नाम खातेदारी मे दर्ज थी। जिसकी मृत्यु के पश्चात वादीगण के पिता पति श्योलाल पुत्र कल्याण के नाम खातेदारी मे दर्ज हुयी। श्योलाल की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 7367 दिनांक 24–6–17 के परिशिष्ट (अ) मे हिस्सा 4/15 वादीगण के व हिस्सा 1/15 प्रतिवादीया न01 के व परिशिष्ट (ब) मे हिस्सा 316/4845 वादीगण के व हिस्सा 79/4845 प्रतिवादीया नं01 के नाम खातेदारी मे दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

हुयी। लेकिन प्रतिवादीया का उक्त आराजीयात से कोई लेना देना सरोकार अधिकार किसी किस्म का नही है। प्रतिवादीया मृतक घनश्याम पुत्र श्योलाल की पत्नी थी घनश्याम की मृत्यु दिनांक 11–2–2014 को नाओलाद हो चुकी है। इसके बाद प्रतिवादीया नं01 रेणू ने घनश्याम की मृत्यु के बाद दूसरी जगह राजेश मीणा निवासी हमजापुरा तहसील पीपलू से नाता विवाह कर बतौर पत्नी निवास कर रही है। प्रतिवादीया का अब उक्त आराजीयात से कोई लेना देना सरोकार अधिकार किसी किस्म का नही है। न ही प्रतिवादीया वादीगण की विधिक वारिस है घनश्याम की मृत्यु के बाद घनश्याम के वारिस व उत्तराधिकारी वादीगण ही है तथा घनश्याम के हिस्से की आराजीयात को वादीगण ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी नं01 ने कभी भी ग्राम कस्बा निवाई में आकर आराजी को काश्त नही किया है। जबकि वादीगण मृतक घनश्याम के भाई व बहिने व माता होने से व आराजी पुश्तैनी पैतृक व मौरूसी होने से आराजीयात परिशिष्ट (अ) मे वादीगण का 5/15 हिस्सा यानी सम्पूर्ण आराजीयात मे 1ध्3 हिस्सा व परिशिष्ट (ब) में वादीगण का हिस्सा 395/4845 हिस्सा है तथा वादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण इसी हिस्से अनुसार आराजीय३ यह कि विवादमूल दिनांक 7–1–2022 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा को खुर्द बुर्व अन्तरण विक्रय करने की धमकी देने पर उत्पन्न होकर दावा अन्दर अवधि (मियाद) पेश है। यह कि पक्षकारान के निवास स्थान व आराजी मुतनाजा न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से व वाद की नेचर को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत वाद को सुनने व निर्णय देने का न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि वाद घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा राज०टी०एक्ट के प्रावधानो के अनुसार निर्धारित कोर्ट फीस उरु–रूपये पर पेश है। यह कि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 आराजीयात के सह खातेदार होने से व प्रतिवादी संख्या 7 के यहाँ आराजीयात रहन दर्ज होने से व प्रतिवादी संख्या 8 आजीयात के लेण्ड होल्डर होने से उन्हे प्रतिवादी प्रोफार्मा बनाया है।

अतः वादीगण की प्रार्थना है किः–

(क) दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी, व स्थायी निषेधाज्ञा डिकी फरमाया जाकर इस्तकरार हक इस अमर का फरमाया जावे कि आराजी वर्णित परिशिष्ट (अ) खाता संख्या 1487 कुल किता 8 कुल रकबा 7.17 है० मे वादीगण को हिस्सा 5/15 यानि सम्पूर्ण आराजीयात मे 1/3 हिस्सा का व परिशिष्ट (ब) खाता संख्या 1402 कुल किता 1 कुल रकबा 16.03 है० वाके ग्राम कस्बा निवाई मे वादीगण को हिस्सा 395/4845 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल इन्द्राज किया जावें इस हेतु लैण्ड होल्डर तहसीलदार निवाई के नाम आदेश जारी फरमाया जावे।

(ख) प्रतिवादीया नं01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो स्वंय नौकर चाकर एजेन्ट प्रतिनिधि वगैरह के वादीगण के हक हिस्से मे किसी प्रकार की बैजामजाहमत न करे वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल नही करे। वादीगण को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचाये।

(ग) यह कि व्यय न्यायालय दिलाया जावे व अन्य परितोष माननीय न्यायालय वादीया के हक में उचित व समुचित समझे प्रदान करे।

परिशिष्ट (अ) आराजी खाता संख्या 1487 में दर्ज आराजी ख0नं0 2331/3 रकबा 1.07 है०. 2340 रकबा 1.02 है0 2341 रकबा 0.12 है०, 2344/3 रकबा 0.18 है०, 2345/2 रकबा 0.05 है0, 2347/2 रकबा 0.11 है0, 2968/5 रकबा 1.02 है0, 2969/1 रकबा 2.00 है० कुल किता 8 कुल रकबा 7.17 है० वाके ग्राम कस्बा निवाई जिला टोक (राज०)

परिशिष्ट (ब)

हाल आराजी खाता संख्या 1402 में दर्ज आराजी ख०नं० 3053/1 रकबा 16. 03 है० कुल किता 1 कुल रकबा 16.03 है० वाके कस्बा निवाई जिला टोक (राज०)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण समस्त बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण समस्त के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

वादी सं0 1 व 4 की तरफ से साक्ष्य शपथपत्र पेश किये, जो शामिल पत्रावली है। वादीगण की ओर से और साक्ष्य पेश करने से मना करने पर साक्ष्यवादी बंद किया जाकर अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी। वकील वादी ने दोहराने बहस प्रस्तुत वाद का दोहरान करते हुये निवेदन किया की भूमि आराजी खाता संख्या 1487 में दर्ज आराजी ख0नं0 2331/3 रकबा 1.07 है०. 2340 रकबा 1.02 है0 2341 रकबा 0.12 है०, 2344/3 रकबा 0.18 है०, 2345/2 रकबा 0.05 है0, 2347/2 रकबा 0.11 है0, 2968/5 रकबा 1.02 है0, 2969/1 रकबा 2.00 है० कुल किता 8 कुल रकबा 7.17है० वाके ग्राम कस्बा निवाई में वादीगण को 1/3 हिस्से एवं खाता सं0 1402 में दर्ज आराजी ख0नं0 3053/1 रकबा 16.03 है0 वाके ग्राम कस्बा निवाई में वादीगण को 395/4845 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जावे।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत ढाणीजुगलपुरा, पंचायत समिति निवाई एवं सरपंच ग्राम पंचायत बोरखण्डीकलां, पंचायत समिति पीपलू के लेटरपेड में भी प्रतिवादी सं0 1 का मृतक घनश्याम की मृत्यु उपरांत राजेश मीणा पुत्र रामेश्वर मीणा ग्राम हमजापुरा ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी

बोरखण्डीकलां से पुर्नविवाह करना बताया गया है एवं पुर्नविवाह के बाद प्रतिवादी सं0 1 के एक बच्चा व दो लडकियां होना बताया गया है। वाद वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2 ता 6 की पैतृक संपत्ति है। वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा विरासत नामांतकरण सं0 7367 दिनांक 24.06.17 से खाता सं0 1487 में हिस्सा 4/15 व खाता सं0 1402 में हिस्सा 316/4845 मृतक घनश्याम पुत्र श्योलाल की पत्नी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन घनश्याम की मृत्यु दिनांक 11.02.2014 को नाऔलाद होने एवं प्रतिवादी सं0 1 रेणु ने दूसरी जगह राजेश मीणा निवासी हमजापुरा तहसील पीपलू से नाता विवाह कर बतौर पत्नी निवास कर रही है। ऐसे में विधवा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पुर्नविवाह करने पर पूर्व पति की सम्पति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 वाद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रही है, जिससे भी यही साबित है कि वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं0 1 अपना कोई हक अधिकार नहीं समझती है। अतः वाद वादी बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0टी0एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। नामातंकरण सं0 7367 दिनांक 24.06.2017 ग्राम पंचायत ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई अपास्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खाता संख्या 1487 में दर्ज आराजी ख0नं0 2331/3 रकबा 1.07 है०. 2340 रकबा 1.02 है0 2341 रकबा 0.12 है०, 2344/3 रकबा 0.18 है०, 2345/2 रकबा 0.05 है0, 2347/2 रकबा 0.11 है0, 2968/5 रकबा 1.02 है0, 2969/1 रकबा 2.00 है० कुल किता 8 कुल रकबा 7.17है० वाके ग्राम कस्बा निवाई में वादीगण को 1/3 हिस्से एवं खाता सं0 1402 में दर्ज आराजी ख0नं0 3053/1 रकबा 16.03 है0 वाके ग्राम कस्बा निवाई में वादीगण को 395/4845 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 रेणु के हिस्से को हटाकर वादीगणों को प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी सं0 8 तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी सं0 1 रेणु का नाम हटाकर वादीगणों के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक करें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वाद वर्णित भूमि में वादीगण के हक व हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार से बाधा मजाहमत नहीं करें।

निर्णय आज **दिनांक** 17/10/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई